

26-04-2022

PROCEEDING DISTRICT QUALITY ASSURANCE COMMITTEE
 & FAMILY PLANNING INDEMNITY SCHEME FAMILY
 WELFARE

दिनांक 26-04-2022 को दोपहर 3:00 बजे डॉ० जयन्त जाहुजा, सिविल सर्जन महोदय कैथल की अध्यक्षता में DQAC व FPIIS (FW) मिटिंग का आयोजन कार्यालय सिविल सर्जन कैथल में किया गया। जिसमें DQAC व FPIIS मिटिंग के सदस्यों ने भाग लिया।

सिविल सर्जन महोदय द्वारा सभी उपस्थित कमिटी के सदस्यों का स्वागत करते हुए मिटिंग का आरम्भ किया। एजेंडा के अन्तर्गत रहे हुए बिन्दु अनुसार मिटिंग में विचार-विमर्श किया।

सिविल सर्जन द्वारा निर्देश दिए गए कि परिवार कल्याण के तहत आप्रेशन करवाने आग केसों की Proper Counselling की जाए। केसों के दस्तावेजों की अच्छी तरह पूर्ण Fill करवाया जाए। सरकार द्वारा जारी Standards of Quality Assurance in Sterilization Services का ध्यान रखते हुए पात्र दम्पतियों को परिवार कल्याण साधनों का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। आप्रेशन हेतु प्रयोग किए गए उपकरणों की अच्छी तरह से Sterilized किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई Complications उत्पन्न न हो। आप्रेशन उपरान्त मरीज का Follow up भी करवाया जाए।

इसके उपरान्त मिटिंग में परिवार कल्याण के अन्तर्गत फेल हुआ एक केस पर विचार-विमर्श किया गया। किरण देवी पत्नी विक्रम सिंह गांव काकोल, पुण्डरी जिला कैथल (Tuberculosis Failure Case) द्वारा दिनांक 07-03-2022 को इस कार्यालय में प्राप्त दस्तावेजों को अवलोकन हेतु कमिटी के सम्मुख रखा गया। कमिटी द्वारा सभी सम्बन्धित दस्तावेजों को अवलोकन करने उपरान्त उक्त केस को परिवार कल्याण के तहत असफल पाया गया। कमिटी द्वारा उक्त केस को निदेशालय की हिदायतों अनुसार Compensation देने की सध्दाति जताई।